कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–728/1769 रायपुर, दिनांक 08/06/2018

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कटघोरा वन मंडल, कटघोरा,
छत्तीसगढ़

विषय: – **दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी हेतु 4.34 हे. वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत्।**

संदर्भ: – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 941 दिनांक 04.06.2018

=0=

विषयांकित प्रकरण में आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या शुरू में 25 बतायी गई थी जिसे बाद में सुधार कर यह बताया गया कि आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या निरंक है तथा तदानुसार आनलाईन प्रविष्टि में वन मंडलाधिकारी के द्वारा सुधार कर दिया गया है परंतु प्राप्त प्रस्ताव में प्रपत्र भाग–2 (प्रस्ताव का पृष्ठ 52) तथा वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र भाग–3 (प्रस्ताव का पृष्ठ 57) में हार्ड कापी में अभी भी 25 वृक्षों की संख्या दर्शित हो रही है।

अतएव सुधार कर वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र भाग–2 प्रेषित करें तथा प्रपत्र भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा पुनः भेजे। प्रत्येक प्रमाण पत्र में दिनांक अवश्य अंकित करें। वृक्षों की संख्या में अंतर का कारण भी स्पष्ट किया जावे।

(एस.एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–728/1770 रायपुर, दिनांक 08/06/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

– **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
– **सहायक** आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा, जिला कोरबा।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
O/C छत्तीसगढ़